

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
मन्दिर श्री गोपालजी बाई कुशीपुरा बनारस बनवारी लाल बगैठ

किरम मुकदमा - दावा अर्था 183 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नम्बर - 52 / 2025

तारीख
हुकम

23-04-2025

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर ४ जरीय
अदालत जी हुक
हुकम की तारीख
में जारी हुई

वादी की ओर से श्री रघुनाथ सिंह शेखावत
एडवो ने स्वयं उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 183 188
राजस्थान कारतकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। दावा दर्ज
रजिस्टर किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की
तलबी जरिये सम्मन मय नकल साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड
डाल मय लिफाफे / रपोड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते
देखने तामिल दिनांक 19.05.2025 को पेश हो।

3c
(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

19-05-25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
उपस्थित। प्रतिवादी सरबंका -1 की ओर से
श्री सरदार सिंह -I एडवो ने क्कालतनामा
पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।
प्रतिवादी सरबंका -2 स्वयं उपस्थित आये। मुझे बेदखल
जिनके पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर - किया जाता है
क्षर करवाये गये। वास्ते पेश होने जकात तो कोई
दावा प्रतिवादी सरबंका -1 पत्रावली दिनांक आपसे नहीं है
30-05-2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

30-5-2025

पत्रावली पेश हुई। ककुलाय उमय
पत्रावली उपस्थित / वकील वादी ने उक्त
प्रकरण को आगे नहीं चलाकर Not-Process
के खरीज किमे जाने का निवेदन किया। वकील
वादी के निवेदन पर वादपत्र को Not-
Process में खरीज किमे जाकर है। पत्रावली पेश
कुमार होकर वाद टाफमील टाखिल इस्तर है।

3c
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दील रामपुरा

19/05/2025



Ref

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)